प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ0प्र0
परिवार कल्याण महानिदेशालय
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0क0/वी0एच0एस0एन0सी0/2016–17/1728-75 दिनांकः 18 .07.2016

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु अन्टाइड धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों, विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विकेन्द्रीकरण (Decentralization) अति आवश्यक है। ग्राम सभा द्वारा अपने–अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार **"ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना"** बनाकर समुदाय विशेष के निर्धन वर्ग तथा महिलाओं की आवश्यकताओं, हितों एवं अपेक्षाओं के विषय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी देने एवं सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के पत्र सं0 एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./वी.एच.एस.सी./2011–12/10–3/173–72 दिनांक 8.5.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में प्रति ग्राम सभा/ग्राम पंचायत रू0 10000 की असम्बद्ध अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इस वर्ष इस मद में प्रथम किश्त के रूप में FMR कोड संख्या बी 2.6 के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि का 50 प्रतिशत रू0 5000 प्रति ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की दर से निम्न तालिका अनुसार जनपदों को अवमुक्त की गयी है।

Sr.	District	Amount to be Allocated for VHSNC @ 5000	Amount Adjusted for VHSNC	Amount to be released
1	Agra	3200000	3200000	0
2	Aligarh	4250000	4250000	0
3	Allahabad	7110000	7110000	0
4	Ambedkarnagar	3930000	3930000	0
5	Amethi	2930000	2930000	0
6	Amroha	2420000	2420000	0
7	Auraiya	2205000	2205000	0
8	Azamgarh	7660000	7660000	0
9	Baghpat	1170000	1170000	0
10	Bahraich	4515000	4515000	0
11	Ballia	3080000	3080000	0
12	Balrampur	3335000	3335000	0
13	Banda	2185000	2185000	0
14	Barabanki	5010000	5010000	0
15	Bareilly	5035000	5035000	0
16	Basti	5235000	5235000	0

17	Bijnor	4795000	4795000	0
18	Budaun	4425000	4425000	0
19	Bulandsahr	4420000	4420000	0
20	Chandauli	3080000	3080000	0
21	Chitrakoot	1650000	1650000	0
22	Deoria	5035000	4066062	968938
23	Etah	2080000	2080000	0
24	Etawah	2100000	2100000	0
25	Faizabad	3645000	3645000	0
26	Farrukhabad	2550000	2550000	0
27	Fatehpur	3930000	3930000	0
28	Firozabad	2540000	2540000	0
29	Gautambudhnagar	1185000	1185000	0
30	Ghaziabad	755000	755000	0
31	Ghazipur	7450000	7450000	0
32	Gonda	5270000	5270000	0
33	Gorakhpur	6165000	6165000	0
34	Hamirpur	1570000	1570000	0
35	Hapur	1270000	140766	1129234
36	Hardoi	5505000	5505000	0
37	Hathras	2150000	2150000	0
38	Jalaun	2820000	2820000	0
39	Jaunpur	5245000	5245000	0
40	Jhansi	2180000	2180000	0
41	Kannauj	2195000	2195000	0
42	Kanpur Dehat	3060000	3060000	0
43	Kanpur Nagar	2785000	2785000	0
44	Kasganj	1945000	1945000	0
45	Kaushambhi	2200000	2200000	0
46	Kushinagar	4780000	4780000	0
47	Lakhimpur Khiri	4975000	4975000	0
48	Lalitpur	1700000	1700000	0
49	Lucknow	2475000	2475000	0
50	Maharajganj	3885000	3885000	0
51	Mahoba	1235000	1235000	0
52	Mainpuri	2515000	2515000	0
53	Mathura	2390000	2390000	0
54	Mau	2975000	2975000	0
55	Meerut	2275000	2275000	0
56	Mirzapur	3790000	3790000	0
57	Moradabad	2890000	2890000	0
58	Muzaffarnagar	2285000	2285000	0
59	Pilibhit	2850000	2850000	0
60	Pratapgarh	5520000	5520000	0

61	Raebareli	4155000	4155000	0
62	Rampur	2900000	2900000	0
63	Saharanpur	3845000	3845000	0
64	Sambhal	2830000	2830000	0
65	Sant Kabir Nagar	3240000	3240000	0
66	Sant Ravidas Nagar	2405000	2405000	0
67	Shahjahanpur	4610000	4610000	0
68	Shamli	1150000	1150000	0
69	Siddharth Nagar	4995000	4995000	0
70	Sitapur	6645000	6645000	0
71	Sonbhadra	2505000	2505000	0
72	Srawasti	1670000	1670000	0
73	Sultanpur	4025000	4025000	0
74	Unnao	4770000	4770000	0
75	Varanasi	3510000	3510000	0
TOTAL		**257065000**	**254966828**	**2098172**

उपलब्ध धनराशि निम्न शर्तों के अधीन ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा अवमुक्त की गयी है–

1. धनराशि केवल उन ग्राम सभा को स्थानान्तरित की जाये जिनके द्वारा नियमानुसार ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का खाता बैंक में उपलब्ध है।
2. वर्ष 2016–17 के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये तथा व्यय विवरण जनपद स्तर पर निश्चित FMR कोड में अंकित कर भेजा जाय। ग्राम सभा के खाते में 31 मार्च, 2016 को शेष उपलब्ध धनराशि की जानकारी सम्बन्धित ए0एन0एम0 से अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से संलग्न प्रारूप पर प्राप्त कर ली जाये।
3. पूर्व की भाँति इस वर्ष भी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में अवशेष धनराशि का समायोजन शत–प्रतिशत किया जाना है। अतः ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में 31 मार्च 2016 को उपलब्ध धनराशि के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में रू0 5000 की सीमा तक शेष धनराशि अवमुक्त की जाये। **उदाहरण के लिए** किसी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में दिनांक 31 मार्च, 2016 को रू0 1500 अवशेष है तो उस ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को रू0 5000- रू0 1500= रू0 3500 की धनराशि आवंटित की जायेगी। आवंटन के उपरांत अवशेष धनराशि की सूचना मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को अवगत करा दें, जिससे RMNCH+A फ्लैक्सीपूल मद की धनराशि का समुचित समायोजन किया जा सके।
4. जिस ग्राम सभा में रू0 5000 अथवा इससे अधिक धनराशि अवशेष है उन ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को प्रथम किश्त के रूप में कोई भी धनराशि अवमुक्त न की जाय।
5. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अनटाइड धनराशि की द्वितीय किश्त 31 मार्च 2016 को वी.एच.एस.एन.सी. के खाते में उपलब्ध शेष धनराशि एवं व्यय की गयी धनराशि के आधार पर अवमुक्त की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय भी इन्हीं दिशा–निर्देशों के आधार पर किया जायेगा।
6. **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** द्वारा धनराशि के व्यय करने से पूर्व ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना बनायी जाये। प्राप्त करायी गयी धनराशि को योजना के अनुरूप ही व्यय की जाये और व्यय सम्बन्धी वाउचर सम्बन्धित आशा तथा आँगानवाड़ी, निर्वाचित सदस्य/प्रतिनिधि में से किसी दो के हस्ताक्षर कराये जाये जिससे कि आवंटित धनराशि का व्यय समुचित रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

7. भारत सरकार के आदेश संख्या Z-18015/12/2012-NRHM-II दिनांक 3 जुलाई, 2012 के अनुसार निर्देशित किया जा रहा है कि "ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति" की प्रत्येक माह बैठक आयोजित करायी जाय।
8. ग्राम पंचायत को यदि किसी अन्य योजना यथा नरेगा, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अथवा अन्य किसी योजना में धनराशि प्राप्त हुई है तो ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाते समय उपलब्ध धनराशि का ध्यान रखा जाये तथा धनराशि का व्यय इस प्रकार से किया जाये कि धनराशि का दुरूपयोग अथवा डुप्लीकेशन न हो।
9. जिन ग्राम सभा द्वारा समय से कार्ययोजना अनुसार व्यय नहीं किया जाता है अथवा व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आगामी वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित ग्राम सभा को धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी तथा राशि स्वतः लैप्स हो जोयगी जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ग्राम सभा की होगी।

वित्तीय व्यवस्था

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को धनराशि अवमुक्त करते समय पत्र के बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 का विशेष ध्यान रखा जाय।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

: **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** के सभी अध्यक्षों (प्रधानों) एवं ए0एन0एम0 की बैठक तहसील वार करके उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दी जा रही धनराशि के व्यय में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरतने व रिकार्ड रखने के निर्देश दे दिये जायें एवं पत्र के साथ ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाने सम्बन्धी पत्र के साथ संलग्नक को प्रधानों में पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराकर वितरित करायें। पर्यवेक्षण के लिये सत्यापन योग्य मानक नीचे तालिका में दिये जा रहे हैं, का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

विम: Verifiable Indicator for Monitoring

VIM No 32

Untied fund for VHSNC
VIM Indicators: 1. Fund utilized as per approved annual plan 2. Fund will be transferred from DHS to a/c of VHSNC electronically through Supdt./MoI/C.
Verification of Indicators: 1. Annual plan submission. 2. Report of fund utilization as per plan approved by DHS.
Mode of Disbursement: 1. The State will release the full amount in first installment itself to the DHS and the later will disburse the amount to CHC/PHC on the basis of adjusting the released amount with the Balance amount of the VHSNC account for the previous year. 2. Fund will be transferred from DHS to CHC/PHC a/c of mission flexi pool part-B electronically. 3. Fund will be transferred from CHC/PHC a/c electronically/ through Bank advisory in to the joint account of ANM & Gram Pradhan to VHSNC.

Guidelines:
1. Joint ANM & Gram Pradhan Bank account of VHSNC is essential.
2. All VHSNC will prepare their annual plan for expenditure under untied grant.
3. All expenditure has to be done as per approved plan.

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों का नियमित पर्यवेक्षण करने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सहयोग से विस्तृत कार्ययोजना बनायी जाय। कार्ययोजना में ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों में कम से कम एक ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षक (जैसे– पुरूष एवं महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं अन्य चिकित्साधिकारी आदि) पर्यवेक्षण कार्ययोजना की एक प्रति जिला कम्युनिटी

प्रोसेस मैनेजर को उपलब्ध करायी जाय, जिससे जिला एवं राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक भी इन बैठकों का पर्यवेक्षण कर सकें। पर्यवेक्षण हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा अनुमोदित चेकलिस्ट का उपयोग किया जाय। जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारी अपने ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों का भ्रमण के समय इन चेकलिस्टों को अवश्य देखें।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के द्वारा किये गये व्ययों का विवरण वाउचर सहित नियमानुसार सुरक्षित रखा जाये तथा ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायें। प्रत्येक वर्ष जनपद के 3 प्रतिशत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति खातों का रैण्डम आधार पर सत्यापन जिला स्तरीय लेखा अधिकारी द्वारा अवश्य कराया जाय तथा इसकी संकलित रिपोर्ट तथा किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट को परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को अवश्य प्रेषित की जाय।

भवदीय

(डा0एम0आर0मलिक)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्रांकः मा0शि0क0 / वी0एच0एस0एन0सी0 / 2016–17 / तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
7. निदेशक, एम0सी0एच0 / परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देश को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला लेखा प्रबंधक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिये गये उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना तथा व्यय विवरण राज्य स्तर पर समय से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(डा0एम0आर0मलिक)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

12/7/16